आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Service Revision Case No.-15 of 2018

Dist.:- Begusarai

PRESENT :- Sunil Kumar Singh, I.A.S.,
Chairman-Cum-Member.

Ramashish Yadav - Petitioner/ Appellant

Versus

The Divisional Commissioner & Ors - Respondent/ Opp. Party

Appearance :

For the Petitioner : Md. Hussamuddin Azad, Advocate
For the OP :

ORDER

04.10.2018

प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के आदेश ज्ञापांक– 1435 दिनांक– 31.08.2012 द्वारा अधिरोपित दंड के विरुद्ध दायर किया गया है।

श्री रामाशीष यादव, उ0व0लिपिक, बछवाड़ा प्रखंड द्वारा जिला भू–अर्जन कार्यालय, बेगूसराय में पदस्थापन के दौरान माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित संचिका (11–26/2000 भू–अर्जन) को गायब करने के फलस्वरुप जिला प्रशासन के विरुद्ध अवमाननावाद दायर होने तथा एतद संबंधी उत्पन्न जटिलताओं के लिए इस कार्यालय के ज्ञापांक– 1836/स्था0, दिनांक– 13.12.2008 से विभागीय कार्यवाही संचालन का निर्णय लिया गया तथा निदेशक, डी0आर0डी0ए0 संचालन पदाधिकारी नियुक्त किए गए।

संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त संचिका श्री यादव के बजाए तत्तकालीन भू–अर्जन पदाधिकारी के पास रहती थी, इसलिए संचिका के गुम होने/किए जाने की जिम्मेवारी श्री यादव की नहीं है। अतएव, श्री यादव को आरोप मुक्त करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन स्थगित किया जाए।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

संचालन प्रतिवेदन के विवेचना के क्रम में यह तथ्य प्रमुखता से उठाए गए कि मामला संचिका के गुम होने/किए जाने से संबंधित है, अतएव, अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 05 की कंडिका 18 (1) के अधीन पुनः विभागीय कार्यवाही संचालन का निर्णय लिया गया एवं अपर समाहर्त्ता, बेगूसराय के कार्यालय के ज्ञापांक– 1389/स्था0 दिनांक– 10.12.2010 से संचालन पदाधिकारी नियुक्त किए गए।

अपर समाहर्त्ता –सह– संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप के बिन्दुओं पर आवश्यक कारण पृच्छा एवं मंतव्य के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष दिया गया कि संचिका के गुम होने/किए जाने में श्री रामाशीष यादव, संचिका के प्रभारी लिपिक के साथ–साथ तत्कालीन प्रभारी प्रधान लिपिक श्री अंजनी कुमार वर्मा की भी संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता है। उक्त आधार पर संचालन पदाधिकारी द्वारा दोनों कर्मियों के विरुद्ध लघु दंड की अनुशंसा की गई है।

आरोपी पर गठित आरोप, आरोपी द्वारा समर्पित कारण–पृच्छा, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 05, संशोधित नियमावली 2007 के नियम 14 (5) के अधीन निम्न दंड अधिरोपित किया गया।

1– श्री अंजनी कुमार वर्मा, उ0व0लिपिक, मटिहानी प्रखंड की एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध की गई।

2– श्री रामाशीष यादव, उ0व0लिपिक, बछवाड़ा प्रखंड की दो (2) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध की गई।

जिला पदाधिकारी, बेगुसराय के पत्रांक– 1006 दिनांक– 16.08.2018 द्वारा बताया गया कि संचालन पदाधिकारी –सह– निदेशक, डी0आर0डी0ए0 बेगुसराय द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन अनुशासनिक प्राधिकार ने असहमति जतायी क्योंकि मामला संचिका गुम होने से संबंधित था। आरोप की गंभीरता को देखते हुए पुनः जाँच हेतु अपर समाहर्त्ता को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि जिस संचिका के गायब होने के आरोप में उन्हें दंडित किया गया वो संचिका उनके पास नहीं थी, वो संचिका जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के पास थी। इसी आधार पर संचालन पदाधिकारी –सह– निदेशक, डी0आर0डी0ए0 द्वारा उन्हें मुक्त कर दिया गया। पुनः दुसरा संचालन पदाधिकारी नियुक्त करना नियम के विरुद्ध है।

सभी पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के परीक्षण के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि संचालन पदाधिकारी –सह– निदेशक, डी0आर0डी0ए0 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन अनुशासनिक प्राधिकार सहमत/असहमत हो सकते है एवं तर्कसंगत (Reasoned) आदेश पारित कर सकते है। विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने की पश्चात् पुनः दूसरा संचालन पदाधिकारी नियुक्त कर विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाना नियमानुकूल नहीं है। अतः संचालन पदाधिकारी –सह– अपर समाहर्त्ता के जाँच प्रतिवेदन को Nullify (अमान्य) किया जाता है।

अतः न्यायहित में इस वाद को जिला पदाधिकारी, बेगुसराय को Remand किया जाता है कि वे प्रथम संचालन पदाधिकारी –सह– निदेशक, डी0आर0डी0ए0 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में Fresh Order पारित करें।

लेखापित एवं संशोधित

5/10/18

(सुनिल कुमार सिंह)
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।

5/10/18

(सुनिल कुमार सिंह)
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।